

	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	
---	---	---	---

सी.एस.एफ./एसओजी/कृषि/2-65/पल्लेदारी/2025

दिनांक: 25.08.2026

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ खण्ड संख्या 1, 2 व 3 की खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 के प्राप्त होने वाले उत्पादन के लिये विनोदग केन्द्र खण्ड-1 एवं 2 के पल्लेदारी कार्य एवं उत्पादन उतारना, सूखाना व साफ सफाई आदि कार्यो हेतु इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों/फर्मों से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 07.09.2025 को अपरान्ह 1:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन (दिनांक 07.09.2026) सांय 3:00 बजे खोली जायेगी । निविदाएं देने से पहले Online माध्यम से रुपये 30,000.00 मात्र (प्रति खण्ड) पल्लेदारी एवं उत्पादन उतारना व साफ सफाई के लिए धरोहर राशि और रु. 1,180/- (GST सहित) निविदा फार्म राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य सन्तोषतनक ढंग से पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा असफल निविदादाताओं की राशि NEFT/RTGS/Online माध्यम के द्वारा लौटा दी जायेगी। ठेकेदार को पैन नम्बर, आधार कार्ड की प्रति देनी जरूरी है। निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल <https://indiaseeds.enivida.com> पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है । निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं ।

सहायक महाप्रबंधक (उत्पादन)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	25.08.2026
Date and time for submission of online bid	From 25.08.2026 09:30 AM TO 07-09-2026 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Suratgarh	07.09.2026 at 03:00 PM
Tender Fee (to be deposited online)	Rs. 1,180.00 (Rs. 1000+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online) refer point no. 01 of T&C	Rs. 30,000.00 per block
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	AGM (Production) Mob. – 97176-97870

--	--

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of

delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

नियम-शर्तें

खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 में प्राप्त होने वाले उत्पादन की विनोडिंग सेंटर पर पल्लेदारी एवं उत्पादन उतारना, सूखाना व साफ सफाई आदि कार्यों के ठेका देने हेतु नियम व शर्तों के सम्बंध में।

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई निविदा फॉर्म राशि एवं धरोहर राशि (ईएमडी) ऑनलाइन माध्यम से निविदा पोर्टल पर ही जमा करनी होगी । अन्य किसी भी माध्यम द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि व निविदा फॉर्म राशि मान्य नहीं होगी । निविदा फॉर्म की राशि रु. 1,180/- (1,000 + 18% GST) जमा करवानी होगी । निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन निविदा भरते समय धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 30,000/- प्रति खंड निविदा सूचना में दर्शाई गयी दिनांक व समय तक ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाने होंगे । बिना निविदा फॉर्म राशि व धरोहर राशि जमा करवाये बिना निविदा मान्य नहीं होगी । यदि कोई निविदादाता दोनों खंडों के लिए निविदा भरता है तो उसे दोनों खंडों हेतु धरोहर राशि एकमुश्त जमा करवानी होगी ।
2. सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (Security Money) 50,000 /- प्रति खंड ऑनलाइन माध्यम से जमा करानी होगी। उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि संतोषजनक ढंग से कार्य समाप्ति के बाद में बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी ।
- 3- यदि किसी फर्म के पास निविदा कार्य से संबंधित MSME सर्टिफिकेट है, उसमें MSE (Micro & Small Enterprise) के अंतर्गत आने वाली पार्टियों/फर्मों के लिये निविदा फॉर्म राशि व धरोहर राशि भरने से छूट होगी अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी ।
4. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक अनुबंध (एग्रीमेन्ट) रु. 500 /- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जो सफल निविदादाता द्वारा खरीदा जायेगा, अनुबंध सफल निविदादाता द्वारा स्वीकृति आदेश जारी होने के 7 कार्य दिवस में जमा कराना होगा ।
5. अनुबंध दोनों फर्मों के बीच होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि (खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027) के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है । पारस्परिक रूप से सहमति होने पर अनुबंध की अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
6. मूल्य उद्धृत करते समय निविदादाता को न्यूनतम वेतन (minimum wages) को ध्यान में रखना होगा । यह निविदादाता की जिम्मेदारी है की वह अनुबंध के तहत किये जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे ।
7. उद्धृत मूल्य पीएफ, ईडीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।
8. फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए बिना किसी वृद्धि के किसी भी कारण से , जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा ।
9. खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 1 लाख किंटल है। यह मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है तथा ठेकेदार को अनुमानित मात्रा से अधिक उत्पादन होने पर भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा ।
10. विनोडिंग सेंटर पर उत्पादन उतारना, सूखाना व साफ सफाई करना, बोरी भराई, बोरी सिलाई, बोरी भराई के बाद बचे उत्पाद को झाड़ू से इकठा कर बोरी में भरवाना, विनोडिंग सेंटर पर आये फसलों के उत्पाद की विभिन्न

- श्रेणीयों को मिश्रण से बचाने के लिए झाड़ू लगाकर अलग-2 रखना आदि कार्य करना । दर प्रति क्विंटल देनी होगी ।
11. विनोइंग सेंटर पर ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा की फील्ड से आ रहे राँ बीज को उसके फसल, किस्म व श्रेणी के अनुसार अलग-अलग रखा जाये । इस कार्य को करते समय ठेकेदार को विशेष सावधानी रखनी होगी ।
 12. ठेकेदार द्वारा विनोइंग केंद्र पर फील्ड से आये हुए उत्पाद की पूरी साफ़-सफाई करने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद की मात्रा स्टोर को हैन्डओवर की जायेगी, उसी मात्रा के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा ।
 13. विनोइंग केंद्र पर सरसों व तोरिया की फसल की मोबाइल मशीन से साफ़-सफाई के दौरान उसे दो बोरियों में भरना होगा ।
 14. पल्लेदारी के विभिन्न कार्यों का विवरण इस प्रकार है –बोरी भराई, बोरी सिलाई, बोरी को ट्रक/ट्रॉली में लादना, बोरियों को ट्रक/ट्रॉली से उतारना, तथा विनोइंग सेन्टर या गोदाम में बोरियों का चट्टा लगाना, जिस उत्पादन की बोरी भराई की गयी है उसके बचे राँ सीड को झाड़ू लगाकर पूरा राँ सीड बोरी में भराना, दर प्रति क्विंटल की दर से होगी ।
 15. विनोइंग केंद्र से गोदाम में राँ सीड के स्थानांतरण के दौरान गोदाम की फर्श पर यदि राँ सीड गिर/बिखर जाता है उस दशा में ठेकेदार को गोदाम में बिखरे हुए राँ सीड को साफ़ करके उपलब्ध बोरी/बैग में भरके देना होगा ।
 16. उपरोक्त कार्यों के अलावा जो भी कार्य करवाया जायेगा जो कि निविदा में दिया गया है वह विनोइंग केन्द्र प्रभारी/चक/खण्ड प्रभारियों के दिशा निर्देशानुसार-करना होगा ।
 17. पल्लेदारी के कार्य के दौरान जैसे लोडिंग अनलोडिंग या चट्टा लगाते समय एवं उत्पादन उतारना, सूखाना व साफ सफाई, बोरी भराई, बोरी ढुलाई, बोरी सिलाई, आदि कार्य के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है ।
 18. ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे ठेकेदार के नाम स्थानांतरित नहीं कर सकता ।
 19. प्रत्येक कार्य की दर सभी टैक्स सहित देनी होगी ।
 20. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है । ठेकेदार की लापरवाही से फार्म राँ सीड या फार्म संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तो फार्म को हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिलों एवं उसकी धरोहर राशि से कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार ठेकेदार को फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है ।
 21. कार्य-स्थल फार्म के खण्ड एक तथा खण्ड दो के विनोइंग केन्द्र होंगे । खण्ड एक एवं दो के विनोइंग केन्द्र के लिये अलग-2 निविदा निर्धारित प्रारूप के अनुसार भरना होगा ।
 22. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से नियम अनुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी । किसी कारण से ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी ठेकेदार को कार्य करवाना होगा और कार्य समय पर पूरा करवाना अनिवार्य होगा ।
 23. कार्य के भुगतान का बिल **GST के प्रारूप** में प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा ।
 24. TDS या अन्य कोई कर की कटौती नियमानुसार बिल में से की जायेगी ।
 25. निविदादाता द्वारा फार्म में रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा ।
 26. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ पर समय-समय पर लागू सभी श्रम कानूनों/अधिनियमों, तथा उनके संशोधनों की अनुपालना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य रहेगा । साथ ही कार्य के दौरान इन सभी कानूनों/नियमों/अधिनियमों के तहत बनाये जाने वाले सभी रेकॉर्ड्स/रजिस्टर/विवरण को कायम रखना होगा तथा यदि फार्म द्वारा जाँच की जाती है तब समस्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा ।
- (i) यदि कार्य के दौरान ठेकेदार को किसी कानून/अधिनियम/नियम के तहत पंजीकरण (**registration in concerned department**) करवाना अनिवार्य है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

- (ii) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों, परिपत्रों, पत्रों इत्यादि की भी अनुपालना करना भी अनिवार्य रहेगा जो कि इस कार्य पर लागू होने से अर्थात् ठेकेदार को इस अनुबंध/work contract के तहत किये जाने वाले समस्त कार्यों पर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/पत्रों/आदेशों की अनुपालना करना अनिवार्य रहेगा ।
27. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीए हुए मजदूरों को फार्म परिसर पर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है, इस संबंध में ठेकेदार को ही ध्यान रखना होगा ।
28. विनोडिंग केन्द्र, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक व अन्य कर्मचारी/अधिकारी वर्ग से दुर्व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जायेगी। ठेकेदार के मजदूरों को प्रतिदिन कार्य खत्म होने पर विनोडिंग केन्द्र, गोदाम तथा फार्म कार्यालय परिसर के बाहर रहना होगा जिसका प्रबन्ध ठेकेदार को खुद करना होगा ।
29. काम के समय दिन व रात को ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों व थैलीयों को सोने व बैठने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। खाली बोरियों, कट्टों व थैलीयों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर बण्डल बनाकर कार्य होने के साथ-2 रखना होगा ।
30. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।
31. ठेकेदार को अपने पास कार्य पर लगाये गये मजदूरों की रजिस्टर में रोजाना हाजिरी लगाकर विनोडिंग केन्द्र प्रभारी से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा ।
32. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।
33. तिरपाल व क्रेट इत्यादि लगाने व ढोने का कार्य ठेकेदार को स्वयं करवाना होगा तथा बरसात, आधी, ओलावृष्टि आदि से रॉबीजों, व अबीजों को बचाना होगा ।
34. निविदादाता/पार्टी/फर्म का EPF एवं ESI के लिये रेजिस्टर्ड होना अनिवार्य है । साथ ही भुगतान के लिये बिल प्रस्तुत करने के समय EPF, ESI के चालान की प्रति साथ में संलग्न करनी होगी ।
35. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि के अंशदान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है तथा बिल प्रस्तुत करते समय भविष्य निधि/ई.एस.आई की चालान की प्रति साथ लगानी होगी एवं भुगतान का पूर्ण सत्यापित विवरण नियमानुसार देना होगा । ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान न किये जाने पर बिलों से पैसा काटकर फार्म द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा ।
36. ठेकेदार के मजदूरों की शिकायत की जिम्मेवारी ठेकेदार की ही होगी एवं कानूनी कार्यवाही होने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
37. ठेकेदार को विनोडिंग केंद्र पर खलिहान की रॉ सीड आने से पहले सफाई व प्रत्येक फसल व किस्म का लॉट पूर्ण होने पर भी सफाई करनी अनिवार्य होगी ।
38. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा की हर रोज शाम को विनोडिंग केंद्र पर पड़े पूरे रॉ सीड को ढककर उस पर वजन रखकर जाये ताकि ढके हुए उत्पाद से तेज हवा के कारण कवर न हटे । साथ ही मौसम खराब होने की दशा में ठेकेदार द्वारा तुरंत श्रमिक उपलब्ध करवाकर उत्पाद को आँधी-तूफान व वर्षा से बचाना होगा । यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है या उसकी लापरवाही के कारण फार्म उत्पाद को नुकसान पहुंचता है तब उस दशा में फार्म समिति द्वारा नुकसान का ऑकलन किया जायेगा व उस नुकसान की कटौती संबंधित ठेकेदार के बिल व उसकी जमा सुरक्षा राशि से की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
39. विनोडिंग केंद्र पर विनोडिंग केंद्र प्रभारी द्वारा विनोडिंग केंद्र ठेकेदार को कार्य एक दिन पहले रजिस्टर में लिखित में बताया/नोट करवाया जायेगा और ठेकेदार उसी अनुसार अगले दिन कार्य करवाना सुनिश्चित करेगा । तथा साथ ही यदि आवश्यकता पड़ने पर कोई कार्य तुरंत करवाना आवश्यक होगा तब उस दशा में ठेकेदार को वह कार्य करना भी अनिवार्य होगा । यदि ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी की जाती है जिससे फार्म उत्पाद (produce) को नुकसान होने की संभावना है तब उस दशा में फार्म किसी अन्य ठेकेदार या लेबर से कार्य करवाने के लिये स्वतंत्र होगा, तथा उस करवाये गये कार्य के भुगतान की राशि को ठेकेदार के बिल से कटौती की जायेगी । यदि अन्य ठेकेदार/लेबर से कार्य करवाने में निर्धारित

दरों से अधिक दरों पर भी कार्य करवाना पड़ता है तब उस दशा में भी उस अतिरिक्त दरों की राशि की कटौती ठेकेदार के बिलों व उसकी सुरक्षा राशि से की जायेगी ।

- 40 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा की फार्म परिसर में व कार्य के दौरान कोई भी श्रमिक या स्वयं ठेकेदार नशे का सेवन करके न आये ।
- 41 अगर ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जायेगा तथा धरोहर व सुरक्षा राशि जब्त कर उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है ।
- 42 ठेकेदार व उसके मजदूर विनोइंग केन्द्र या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पियेंगे तथा ज्वलनशील पदार्थ अंदर नहीं लायेंगे ।
- 43 निविदा में दिये गये सभी कार्यों (क्रम संख्या 01 से 08) की दर देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नहीं देने पर फार्म द्वारा जो दर निर्धारित की जायेगी उन दरों पर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा ।
- 44 आगामी वर्ष के लिये यदि निविदा स्वीकृत होने में समय लगता है या किसी कारण निविदा सफल नहीं हो पाती है तब उस स्थिति में अनुबंधित ठेकेदार को स्वीकृत दरों व अनुबंध की नियम-शर्तों पर श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के उपरांत कार्य दिया जा सकता है, जब तक नया टेंडर फाईनल नहीं होता अर्थात किसी अन्य पार्टी को वर्क ऑर्डर ऑफर नहीं कर दिया जाये ।
- 45 निविदा में दी गई नियम एवं शर्तों के अलावा कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
- 46 निविदा में दी गई कार्य अवधि के दौरान ठेकेदार को निम्नानुसार सुविधा फार्म द्वारा प्रदान की जावेगी:

(अ)-बीज/गैर-बीज/छोटे आकार/सीपीएम को विनोइंग केन्द्र से गोदाम में या खुले शेड में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक वाहन फार्म द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ब)-किसी भी प्रकार के बीज/सीपीएम आदि के ढकने के लिए उपयोग किए जाने वाले कवर फार्म द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(स)-फार्म द्वारा रॉ बीज की सफाई व पैकिंग में उपयोग की जाने वाली बैग क्लोजर व मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(द)-स्टेशनरी आइटम, रबर स्टैंप, बुकरम पर्ची, प्रिंटिंग स्याही आदि।

- 47 निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार फार्म प्रमुख के पास होगा । निविदादाता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी ।
- 48 **निविदा की Financial बीड खुलने के बाद L1 पार्टी का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा ।**
- a. निविदा में भाग लेने वाली पार्टी को निविदा फॉर्म में दिये गये प्रारूप में कॉलम B में अलग-अलग स्लैब अनुसार दरें भरनी होगी ।
- b. निविदा फॉर्म के प्रारूप के कॉलम A में स्लैब अनुसार खरीफ, रबी व जायद फसलों के उत्पाद की अनुमानित मात्रा पूर्व में ही अंकित होगी ।
- c. L1 पार्टी का निर्णय निविदादाता द्वारा कॉलम B में भरी गयी स्लैबवार दरों का कॉलम A (अनुमानित उत्पाद की मात्रा) से गुणन करके पार्टी को कार्य हेतु दिये जाने वाली अनुमानित कुल न्यूनतम राशि (total amount) के आधार पर किया जायेगा ।
49. सफल निविदाता को उसके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान विनोइंग सेंटर पर फील्ड से प्राप्त उत्पाद की साफ-सफाई करके व सुखाने के उपरांत गोदाम में जमा हुई उत्पाद की मात्रा (प्रति क्विंटल) के आधार पर किया जाएगा ।
50. निविदाता की रु.100/- के स्टाम्प पर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड व अन्य राज्य व केन्द्रीय संस्थानों से नॉन ब्लेकलिस्ट / प्रतिबंधित के संबंध में हलफनामा नॉटरी करवाकर निविदा की टेक्निकल बीड भरते समय निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्धारित प्रारूप में देना होगा ।

51. Arbitration clause (मध्यस्थता खंड): यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश/नियम एवं शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिये हैं। उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता.....

निविदादाता का नाम.....

पता.....

	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम लघुमूल कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल : ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	
---	--	--	---

सी.एस.एफ./एसओजी/कृषि/2-65/पल्लेदारी/2025

दिनांक: 07.09.2026

Check list for Technical Requirement of Tender (Palledari work at W/centre)

<u>Name of Firm</u>			
<u>S. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Details/Documents submitted (Yes/No)</u>	<u>Remarks</u>
1.	Name of the Tenderer		
2.	Father Name of the Tenderer		
3.	Full Address of the Tenderer		
4.	Mobile No. of the Tenderer		
5.	Copy of GST Registration (if applicable)		
6.	Copy of PAN Card		
7.	Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card		
8.	Copy of Firm Letter Head (if any)		
9.	EPF Registration		
10.	ESI Registration		
11.	Firm Registration (MSME/Shop details etc.)		
12.	Bank Detail/Passbook/Cheque/Etc.		
13.	EMD		
14.	Tender Fees		
15.	Affidavit for Non-Blacklisting / debarred (on Rs.100 Stamp Paper)		

Note: Kindly Attach Aforesaid document's Photocopy.



नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम लघुमूल्य कंपनी)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
फोन: 01509-223873
ई-मेल : ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone : 01509-223873



सी.एस.एफ./एसओजी/कृषि/2-65/पल्लेदारी/2025

दिनांक: 07.09.2026

खंड-1 व 2 के विनोडिंग सेंटर पर पल्लेदारी कार्यों के लिए निविदा फॉर्म

श्रीमान निदेशक महोदय,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विषय : उत्पाद एवं पल्लेदारी की उतारई, सुखाने एवं सफाई जैसे कार्यों की निविदा दरें भरने के संबंध में।
महोदय,

मैं अपनी प्रस्तावित दरें प्रति क्विंटल के अनुसार दे रहा हूँ / रही हूँ। खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 के लिए विनोडिंग सेंटर में उत्पाद की साफ-सफाई व सुखाई जैसे कार्यों के लिए:

क्रमांक	कार्य का विवरण	विनोडिंग केंद्र खंड-1		विनोडिंग केंद्र खंड-2	
		अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	दर प्रति क्विंटल GST सहित (रुपयों में)	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	दर प्रति क्विंटल GST सहित (रुपयों में)
		A	B	A	B
1.	खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 के उत्पादन को विनोडिंग सेंटर में राँ बीज को उतारना	25,000.00		25,000.00	
2.	खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 के उत्पादन को विनोडिंग सेंटर में राँ बीज को रोजाना कवर करना और कवर खोलना	30,000.00		30,000.00	
3.	चना, गेहूँ, सरसों, रेपसीड, उड़द, ग्वार, मूँग, अलसी और अन्य फसलों की उपज को मोबाईल मशीन से साफ करना, बोरी भरना, (तोरिया, सरसों को दो बोरियों में भरना), टैग/बुकराम पर्ची बनाकर सिलाई के समय थैले पर लगाना	12,000.00		12,000.00	
4.	फार्म मशीन एलिवेटर से चने की सफाई करना (बोरी भरना, टैग/बुकराम पर्ची बनाकर सिलाई के समय थैले पर लगाना)	10,000.00		10,000.00	
5.	गेहूँ, जौ, चना, धान व अन्य फसल उत्पादों को सुखाना	20,000.00		20,000.00	
6.	राँ बीजों की बोरियों को ट्रक/ट्रॉली पर लोडिंग करना	50,000.00		50,000.00	
7.	राँ बीजों की बोरियों को गोदाम में उतारना और उनका मानक ऊँचाई तक चट्टा लगाना	50,000.00		50,000.00	
8.	निश्चित नमी पर सीधे बोरी में भराई कार्य को करना (खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027)	20,000.00		20,000.00	

उपरोक्त दी गयी अनुमानित मात्रा (कॉलम A) फसल के उत्पादन, फसल कटाई के समय मौसम की स्थिति एवं फसलों के उत्पादन के साथ आने वाले खरपतवारों के बीजों की मात्रा के आधार पर उत्पाद की साफ-सफाई की आवश्यकता के अनुसार अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।

हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम, पता व मो. न.